GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT DELHI-110054

No. DE.23(563)/Sch.Br./Court Case/ 676   Dated:- 27/05/15

CIRCULAR

Subject:- Regarding Mass Awareness on Sexual Offences against Women & Children

Please find enclosed herewith a pamphlet regarding Mass Awareness on Sexual Offences against Women & Children, as received from Department of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi.

All Head of Schools are directed that wide publicity of above said pamphlet be given in their respective schools to make all students and teachers aware on the subject matter.

27/5/15
DDE (School)

Encl: As above.

All Heads of Schools of Govt./Govt aided/Un aided Recognised Schools

No. DE.23(563)/Sch.Br./Court Case/ 676   Dated:- 27/05/15

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education)
2. PA to Director (Education)
3. Director, Deptt, Women & Child Development, GNCT Delhi, 1 Canning Lane, K.G. Marg New Delhi.
4. All DDEs/DEOs for information.
5. OS (IT) to place the above circular on official site
6. Guard File.

27/5/15
(Manjula Khanna)
OSD (School)

सार्वजनिक सूचना

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।।

जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं...

महिलाओं के ख़िलाफ़ छोटे अपराध की भी मिलेगी बड़ी सज़ा

सरकार ने महिलाओं के प्रति यौन अपराधों से संबंधित घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाया है जैसे कि:–

अपराध	सज़ा
1. स्वेच्छा से तेज़ाब के प्रयोग से गंभीर रूप से घायल करना	कम से कम 10 वर्ष का कारावास जो जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
2. स्वेच्छा से तेज़ाब फेंकना या फेंकने की कोशिश करना	5 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।
3. महिला के सतीत्व को भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना	एक वर्ष का कारावास जो 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी है।
4 अवांछनीय शरीरिक संपर्क के रूप में यौन उत्पीड़न और अश्लील चित्र दिखाते हुए यौन अनुग्रह या प्रस्ताव करना	3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना।
5. अश्लील टिप्पणी करने जैसा यौन उत्पीड़न	1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
6. निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना	कम से कम 3 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना।
7. महिला के एकांत पलों को छिप कर देखना	पहले अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास जो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा दूसरे व तदोपरान्त अपराध पर 7 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना।
8. पीछा करना	पहले अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और दूसरे व बाद के अपराध पर 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना।
9. बलात्कार	कम से कम 7 वर्ष सश्रम क़ारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माना।
10. पुलिस अधिकारी या जन कर्मचारी या सशस्त्र बल सदस्य या कारावास और सुधारगृह के प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति या महिला और बच्चों के संरक्षण करने वाले संस्थानों और अन्य ऐसे स्थान या अस्पताल के स्टाफ या प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति या पीड़िता के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति या निकट परिजन द्वारा किया गया बलात्कार	कम से कम 10 वर्ष सश्रम कारावास जो आजीवन कारावास यानि उस व्यक्ति के शेष जीवन तक बढ़ाया जा सकता है।
11. बलात्कार करना तथा घायल करना, जो महिला की मृत्यु या उसे मरणासन्न होने का कारण बने	कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास यानि उस व्यक्ति के शेष जीवन या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है।
12. अलगाव के दौरान अपनी पत्नी से पति द्वारा यौन संबंध	कम से कम 2 वर्ष तक का कारावास जो 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और आजीवन।
13. अधिकारिक व्यक्ति द्वारा यौन संबंध	कम से कम 5 वर्ष तक का कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
14. सामूहिक बलात्कार	कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास यानि व्यक्ति के शेष जीवन या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है।
15. बलात्कार के अपराध पुनरावृत्ति	आजीवन कारावास यानि व्यक्ति के शेष जीवन या मृत्यु तक।

उपरोक्त केसों में शीघ्र ट्रायल हेतु, कार्यवाही दिन प्रति–दिन जारी रहेगी, तथापि, बलात्कार से संबंधित अपराध के लिए ट्रायल पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। सभी निजी या सार्वजनिक अस्पताल, बलात्कार से संबंधित और/या तेज़ाव के प्रयोग से गंभीर रूप से घायल पीड़िता को प्राथमिक चिकित्सा उपचार नि:शुल्क प्रदान करेंगें।

दिल्ली सरकार
दिल्ली टीम – स्वप्न करें साकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 1, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110 001

नारीत्व का सम्मान एवं सुरक्षा करें, यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है।